राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

कमांकः—ई—33/नियु0/ग्रा0लै0टे0/1185/2009/ 1187 दिनांकः— 26/10/09

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
राजस्थान।

विषयः— ग्रामीण लैब टेक्नीशियन के कार्यग्रहण के संबंध मे।

संदर्भः— इस निदेशालय के पूर्व पत्र कमांक— 714 दिनांक 29.5.09

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर मे दायर रिट याचिका संख्या 5038/09 मे पारित अंतरिम आदेश दिनांक 19.5.09 के द्वारा ग्रामीण लैब टेक्नीशियन के पद पर कार्यग्रहण के संबंध मे रोक लगाई गई थी । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 5038/09 में पूर्व में पारित अंतरिम आदेश 19.5.09 को संशोधित (मोडीफाई) करते हुये अंतरिम आदेश दिनांक 14.10.09 को जारी किया गया है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या 5038/09 में दिनांक 14.10.2009 को पारित अंतरिम आदेश के मध्यनजर ग्रामीण लेब टेक्निशियन जिनकी नियुक्ति निदेशालय के आदेश कमांक 182 दिनांक 28.2.2009 द्वारा की गई थी, लेकिन कार्य ग्रहण नही किया गया था, को कार्य ग्रहण करवाया जावे, लेकिन इनकी नियुक्ति सिविल रिट पीटीशन संख्या 2430/09 एवं 5038/09 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होगी। इस आशय की अण्डरटेकिंग (Undertaking) कार्यग्रहण करवाने के पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थियों से ली जावे।

कार्यग्रहण से वंचित शेष अभ्यर्थियों की कार्यग्रहण तिथि दिनांक 30.11.2009 तक बढाई जाती है ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

D:\Nawal Sharma\lt.doc